मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)
पर्यावास भवन, खण्ड–2, पंचम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 295 / वि–12 / प्रशा. / विज्ञापन 01–2024 / 2024 भोपाल दिनांक 5 / 01 / 2024

विज्ञप्ति

प्राधिकरण मुख्यालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु मुख्य महाप्रबंधकों एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों / मुख्यालय में मुख्य महाप्रबंधकों एवं सहायक प्रबंधकों के रिक्त पदों की प्रतिनियुक्ति आधार पर चयन हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते हैः–

क्र	पदनाम	पद का वेतनमान	नियुक्ति का प्रकार	अधिकतम आयु सीमा	न्यूनतम अर्हताएं	अनुमानित पद संख्या	पद स्थापना
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मुख्य महाप्रबंधक (सिविल)	म.प्र. शासन के 7 वें वेतनमान के पे मेट्रिक्स लेवल 16	प्रतिनियुक्ति	61 वर्ष	राज्य / केन्द्र शासन के विभागों में मुख्य अभियंता (सिविल) के मूल पद पर कार्यरत (2 वर्ष का सड़क कार्य का अनुभव) अथवा अधीक्षण यंत्री के पद पर कार्यरत एवं न्यूनतम 2 वर्ष अधीक्षण यंत्री के मूल पद धारित करते हुये सेवारत हो तथा अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री के पद पर रहते हुए सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों का न्यूनतम 5 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो। अथवा राज्य / केन्द्र शासन के विभागों में कार्यपालन यंत्री (सिविल डिग्रीधारी) के नियमित पद पर न्यूनतम 8 वर्षो से कार्यरत ऐसे अधिकारी जिन्हें मूल पद (सहायक यंत्री) के आधार पर तृतीय समयमान वेतनमान प्राप्त किये हुये न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि हो चुकी हो एवं जिन्हें सड़क एवं पुल निर्माण कार्यों का न्यूनतम 8 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो। अथवा ऐसे कार्यपालन यंत्री (सिविल डिग्रीधारी), जो कार्यपालन यंत्री पद पर कार्यरत रहते हुये म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण / म.प्र. सड़क विकास निगम / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में महाप्रबंधक या महाप्रबंधक के समकक्ष के पद पर 05 वर्ष कार्यरत रहे हों एवं जिन्हें न्यूनतम 03 वर्षों का सड़क / पुलों के फील्ड कार्यों का अनुभव महाप्रबंधक के रूप में हो।	03	क्षेत्रीय कार्यालय / मुख्यालय
2	सहायक प्रबंधक (सिविल)	म.प्र. शासन के 7 वें वेतनमान के पे मेट्रिक्स लेवल 12 रू. 56100–177500	प्रतिनियुक्ति	58 वर्ष	राज्य शासन के कार्य विभागों, म.प्र. राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों, केन्द्र एवं राज्य शासन के निगम, मण्डल व उपक्रम में कार्यरत सहायक यंत्री (सिविल) जिन्हें 5 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो, अथवा 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके सिविल इंजीनियरिंग डिग्रीधारी उपयंत्री, जिन्हें 5 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो, अथवा डिप्लोमाधारी उपयंत्री (सिविल) जिन्हें 12 वर्ष का फील्ड का अनुभव हो।	68	क्षेत्रीय कार्यालय / मुख्यालय / इकाई

चयन की शर्ते :–

1. मुख्य महाप्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक के पदों की पूर्ति हेतु प्राप्त आवेदनों में से योग्य / न्यूनतम योग्यताधारी पात्र अभ्यर्थियों का व्यक्तिगत साक्षात्कार इस हेतु गठित साक्षात्कार / चयन समिति द्वारा लिया जावेगा एवं साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर उनके मूल विभाग से विगत पांच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग एवं विभागीय जांच इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जावेगी। मूल विभाग से प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदन की ग्रेडिंग कम से कम तीन वर्षो में **'क'** एवं इससे उच्च तथा एक भी वर्ष में **'घ'** न हो, के अनुरूप होना चाहिये।

2. अभ्यर्थियों के विरूद्ध कोई भी विभागीय जांच संस्थित न हो, लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध न हो। विजिलेंस इन्क्वायरी एवं न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में चालान प्रस्तुत नहीं होना चाहिए। यदि अभ्यर्थियों के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित होगी तथा/अथवा लोकायुक्त/आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण पंजीबद्ध पाया जाता है तथा/अथवा विजिलेंस इन्क्वायरी, न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने आदि की जानकारी प्राप्त होने पर उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

3. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों को मूल विभाग में प्राप्त हो रहा वेतनमान देय होगा अर्थात अलग से वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते जो कि मूल विभाग में प्राप्त हो रहे हैं परंतु म.प्र. शासन में लागू नहीं हैं, के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिनियुक्ति नियम इत्यादि लागू होंगे। प्रतिनियुक्ति अवधि हेतु भी म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के नियम लागू होंगे।

4. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों पर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होगा एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की स्थिति में म.प्र. शासन, के प्रचलित नियम/निर्देश लागू होगें।

5. आवेदन पत्र में वांछित सभी अभिलेखों की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है एवं साक्षात्कार के समय मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जावे।

6. अर्हताएं एवं आयु सीमा तथा अनुभव इत्यादि के संबंध में वर्षो की गणना विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक में की जावेगी।

7. इच्छुक अभ्यर्थी प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत करेंगे एवं आवेदन की एक अग्रिम प्रति कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल, म.प्र. के पते पर भेजेंगे। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 19/01/2024 सायं 5:30 बजे तक है। साक्षात्कार में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर दर्शित की जावेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य जानकारी विभागीय बेवसाईट mprrda.org/default.html पर उपलब्ध है। भर्ती से संबंधित अतिरिक्त जानकारी कार्यालयीन समय में दूरभाष क्र. 0755–4002632 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकेगी।

8. प्राधिकरण द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को एवं चयन की समस्त प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा। चयन उपरांत प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना आवश्यकतानुसार की जावेगी।

9. उक्त विज्ञप्ति में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार चयनित अभियंताओं की पदस्थापना होने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले अभियंता अगले दो वर्ष प्राधिकरण में चयन हेतु अपात्र होंगे।

5/1/2024

(अर्चना सोलंकी)
मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन)
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,भोपाल